जे. वी. गुप्ता, सी.जे. और आर. एस. मोंगिया, जे.के समक्ष

एम/एस बिहारी लाल शानू राम- याचिकाकर्ता,

बनाम

बिहारी लाल वाधवा और अन्य, - प्रतिवादी

1989 का सिविल संशोधन क्रमांक 2415.

3 अगस्त, 1990.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम V)—धारा. 115 - दुर्घटना में देनदार की मृत्यु - दुर्घटना के परिणामस्वरूप कानूनी प्रतिनिधियों को दिए गए मुआवजे की राशि - मुआवजा राशि - क्या निष्पादन में संलग्न किया जा सकता है।

यह माना गया कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में मुआवजा मृतक की संपत्ति नहीं है, और इसलिए, मृतक के खिलाफ डिक्री के निष्पादन में डिक्री-धारक द्वारा संलग्न नहीं किया जा सकता है। (पैरा 7)

(मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए यह मामला 15 नवंबर, 1989 को माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता द्वारा एक बड़ी खंडपीठ को सौंपी गयी था । खंडपीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. मोंगिया थे (जिसे माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 30 नवंबर, 1990 के आदेशों के तहत गठित किया गयी था) ने 3 अगस्त, 1990 को कानून के प्रश्न के साथ-साथ पुनरीक्षण याचिका पर भी निर्णय लिया है।

श्री धर्म पाल, एचसीएस, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कुरूक्षेत्र के न्यायालय के दिनांक 8 अगस्त, 1989 के आदेश में संशोधन के लिए सीपीसी की धारा 115 के तहत याचिका, जिसमें आदेश दिया गया था कि उनके पूर्ववर्ती के आदेश से संलग्न की गई राशि छोड़ी जाए और आगे आदेश दिया जाए कि डिक्री धारक देनदार से संबंधित संपत्ति की सूची दाखिल करने और आगे की कार्यवाही के लिए 4 अक्टूबर, 1989 को आने के लिए स्वतंत्र है।

दावा : निष्पादन हेतु आवेदन.

पुनरीक्षण में दावा : निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील, जगदीश मनचंदा।

प्रतिवादी की ओर से वकील अनिल खेत्रपाल।

निर्णय

आर. एस. मोंगिया, जे.

(1) इस सिविल रिवीजन की सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी और इसे एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया था और इसी तरह हम
मामले को जब्त कर लिया गया है।

(2) इस याचिका में निर्णय लेने का प्रश्न यह है क्या किसी दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में दी गई मुआवजे की राशि मृतक के खिलाफ डिक्री के निष्पादन में संलग्न की जा सकती है?

(3) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मेसर्स बिहारी लाई शन्नू राम ने बिहारी लाल और नंद लाई के खिलाफ 5,145.30रुपये के लिए धन डिक्री प्राप्त की। प्रतिवादी, उक्त बिहारी लाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके कानूनी-प्रतिनिधियों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए एक आवेदन दायर किया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दिनांक 21 अक्टूबर, 1988 के 'अवार्ड' के तहत, रुपये की राशि का फैसला सुनाया और बिहारी लाल के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में 1,06,140 रुपये दिए गए। डिक्री धारक मेसर्स बिहारी लाल शन्नू राम द्वारा दायर निष्पादन आवेदन में, डिक्री राशि रुपये 5,145.30 का
संलग्न किया था । मृतक निर्णय-ऋणी बिहारी लाई के कानूनी-प्रतिनिधियों ने आपत्ति उठाई कि मुआवजे की उक्त राशि को मृतक बिहारी लाल के खिलाफ डिक्री के निष्पादन में संलग्न नहीं किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि उक्त राशि को कुरकी नहीं किया जा सकता। उस फैसले से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

4) निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर कानूनी-प्रतिनिधियों को दिया जाने वाला मुआवजा , यह मृतक की संपत्ति कहा जा सकता है। यदि कानूनी-प्रतिनिधियों को दिया गया मुआवजा मृतक की संपत्ति या परिसंपत्ति है, तो निश्चित रूप से इसे मृतक के खिलाफ डिक्री की संतुष्टि के लिए डिक्री धारक द्वारा कुर्की किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो मुआवजे को कुर्की नहीं किया जा सकता है। .

(5) कानूनी-प्रतिनिधियों के हाथ में मुआवजा मृतक की संपत्ति की संपत्ति नहीं है। यह जो कुछ दिया जाता है मृतक की मृत्यु के कारण उन्हें हुई हानि आदि के कारण कानूनी-प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के माध्यम से है

यह जानने के लिए कि कोई विशेष संपत्ति उचित रूप से मृतक से संबंधित है
यह अवश्य देखना चाहिए: (ए) कि संपत्ति मृतक की मृत्यु से पहले किसी भी समय अस्तित्व में होनी चाहिए; (बी) मृतक का संपत्ति में लाभकारी हित होना चाहिए, चाहे वह वर्तमान में हो या आकस्मिक; (सी) मृतक के पास संपत्ति का वास्तविक, रचनात्मक या लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए (डी) मृतक के पास ऐसी संपत्ति के निपटान की शक्ति होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि केवल मृतक के उत्तराधिकारियों को और उसकी मृत्यु के कारण देय है। यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त राशि मृतक की संपत्ति का हिस्सा थी, और कानूनी प्रतिनिधियों के हाथों में मृतक की संपत्ति के रूप में कुर्की योग्य नहीं है। जानकी उर्फ पट्टम्मल और अन्य बनाम प्रभात फाइनेंस में पार्टनर आर. परभकरन (1) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष भी इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था, और यह माना गया था कि मृतक के कानूनी-उत्तराधिकारियों के हाथों में मुआवजा मृतक के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में कुर्की योग्य नहीं है।

6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोती राम और अन्य बनाम चमन लाल और अन्य, (2) मामले में यह तर्क देने के लिए कि मृतक के कानूनी-प्रतिनिधियों के हाथों मिलने वाला मुआवजा मृतक के खिलाफ एक डिक्री के निष्पादन में संलग्न किया जा सकता है, इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया। फैसले का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि इस पुनरीक्षण याचिका में जिस बिंदु पर निर्णय लिया जाना था, वह ज्योति राम के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के समक्ष नहीं था। उस मामले में जो हुआ था वो थे कविराज राम सिंह एक दुर्घटना में उन्हें चोटें लगी थीं और उन्होंने दुर्घटना में मिली शारीरिक चोटों के मुआवजे के लिए दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की थी। दुर्भाग्य से, मुकदमे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनके कानूनी-प्रतिनिधियों ने दावेदार के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया। उस आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि कार्रवाई का कारण मृतक का व्यक्तिगत होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद जीवित नहीं रहता। इस याचिका को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा और दावा याचिका खारिज कर दी गई। डिवीजन बेंच ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत चोटों के लिए कार्रवाई, मृत्यु का कारण बनने से कम, मृतक या घायल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है और कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए जीवित नहीं रहती है। हालाँकि, बेंच ने कहा कि यदि किसी घायल व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं के संबंध में मुआवजे के लिए कार्रवाई शुरू की थी , जिसमें उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ था , जब किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस सीमा तक मुकदमा करने का अधिकार कानूनी-प्रतिनिधियों के पास रहेगा।

(1) 1986 (1) ए.सी.जे. 306.
(2) . 1984 ए.सी.जे. 645.

इसलिए, घायल की संपत्ति के नुकसान के कारण क्षतिपूर्ति का दावा उसकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जोती राम का मामला (सुप्रा) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के लिए कोई सहायता नहीं है।

(7) हम जानकी के मामले (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सम्मानजनक सहमत हैं और मानते हैं कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में मुआवजा मृतक की संपत्ति नहीं है, और, इसलिए , डिक्री धारक द्वारा मृतक के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में संलग्न नहीं किया जा सकता-

(8) परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा